RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 227/2026

Kota Steel Re-Roling Mill Private Limited

----Appellant

Versus

Dr. Iqbal Khan Ahmed Alias Naim Khan

----Respondent

Connected With

S.B. Civil First Appeal No. 231/2026

Dr. Iqbal Khan Ahmed Alias Naeem Khan Son Of Dr. Abdul Gafoor Khan

----Appellant

Versus

Kota Steel Re-Rolling Mill Private Limited,

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Shailesh Prakash Sharma Mr. Rajesh Maharshi Mr. Yogesh Khandelwal
For Respondent(s)	:	Mr. Shailesh Prakash Sharma

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
Order

07/05/2026

S.B. Civil Misc. Application No. 1/2026 in S.B. Civil First Appeal No. 227/2026:-

प्रार्थना पत्र संख्या 1/2026 अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी क्रम 2/1 श्रीमती जसवीर कौर की मृत्यु हो चुकी है, जिसके नाम के आगे मृतक शब्द अंकित किए जाने का निवेदन किया है। चूंकि विधिक प्रतिनिधि पहले से ही रिकॉर्ड पर है अतः संशोधित वाद शीर्षक अभिलेख पर लिया जावे।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थना पत्र संख्या 1/26 स्वीकार किया जाकर, अपीलार्थी क्रम 2/1 श्रीमती जसवीर कौर के नाम के आगे

RAJASTHAN HIGH COURT

मृतक शब्द अंकित किए जाने का आदेश दिया जाता है तथा संशोधित वाद शीर्षक अभिलेख पर लिया जाता है।

S.B. Civil Misc. Application I.A. No. 2/2026 in S.B. Civil First Appeal No. 227/2026:-

प्रार्थना पत्र संख्या 2/2026 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

आवेदन में वर्णित कारणों को देखते हुए यह प्रार्थना पत्र संख्या 2/2026 स्वीकार किया जाकर, कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि संशोधित अपील पेश होने पर अभिलेख पर ली जावे।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि दोनों प्रकरणों में प्रत्यर्थी संख्या 3 को नियमानुसार नोटिस जारी किए जावें तथा विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावे, प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक के निवेदनानुसार अभिलेख तलबी के क्रम में जारी पत्र दस्ती दिया जावे।

स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 2112/2026 तथा 588/2026 पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की सहमति और प्रार्थना पर पक्षकारान को निर्देश दिया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त प्लॉट को रहन, हस्तांतरित और विक्रय नहीं करें। प्रत्यर्थी संख्या 3/रीको को नोटिस तामील होने के पश्चात उनके उपस्थित आने पर आगामी पेशी पर दोनों पक्षों को नए सिरे से सुनकर अंतरिम/अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /30-31